बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषयः– खरीफ विपणन मौसम 2014–15 में धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 300/– रूपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा भुगतान की गयी शेष बोनस की राशि 400,00,00,000/– (चार सौ करोड़) रूपये को वित्तीय वर्ष 2015–16 में भुगतान करने की स्वीकृति एवं 200,00,00,000/– (दो सौ करोड़) रूपये मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा धान की अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम, एवं प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स)/व्यापार मंडल को अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है तथा बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य के लिए नोडल अभिकरण नामित किया गया है। वर्तमान मौसम में राज्य सरकार द्वारा 30 लाख मे0 टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निगम द्वारा दिनांक 31.03.2015 को निगम जिला कार्यालय में प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर 18.09 लाख मे0 टन धान अधिप्राप्ति का कार्य किया जा चुका है, जिसके विरूद्व निगम द्वारा लगभग 374.74 करोड़ रू0 बोनस मद में भुगतान अब तक किया गया है। अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर खरीफ विपणन मौसम 2014–15 में संभावित 20 लाख मे0 टन धान अधिप्राप्ति के विरूद्व बोनस हेतु 600 करोड़ रू0 की आवश्यकता होगी, बोनस मद में 200 करोड़ रू0 वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त 400 करोड़ रू0 की आवश्यकता होगी।

खरीफ विपणन मौसम 2014–15 में धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण – 1360/–रू0, ग्रेड 'ए' – 1400/– रू0 प्रति क्वीं0 के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 300/– रूपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0 9984 दिनांक 31.12.2014 द्वारा प्राप्त है। खरीफ विपणन मौसम 2014–15 में धान की अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में 200 करोड़ रूपये बोनस मद में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को भुगतान किया जा चुका है। इस मद में बजट शीर्ष अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में 200,00,00,000/– (दो सौ करोड़) रूपये का उपबंध है। शेष बोनस की राशि 400,00,00,000/– (चार सौ करोड़) रूपये वित्तीय वर्ष 2015–16 में भुगतान करने एवं एवं 200 करोड़ रूपये के व्यय हेतु उपबंध नही रहने के कारण बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

यह व्यय आय व्ययक मुख्य शीर्ष 2408 खाद्य भंडागारण एवं भंडागार, उप मुख्य शीर्ष 01–खाद्य, लघु शीर्ष 010 प्रापण तथा पूर्ति के अधीन, उप शीर्ष 0103, मांग सं0–18 विपत्र कोड सं0– पी. 2408011010103, धान/चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानो को आर्थिक सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में विकलनीय होगा।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को बोनस की शेष राशि की विमुक्ति वित्त विभाग द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गयी है कि पूर्व में वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार **राज्य सरकार द्वारा इस मद में अभी तक दी गयी राशि का व्यय बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा नियमानुसार किया गया है।**

राज्य के किसानों को विभाग द्वारा अधिप्राप्ति कार्य के लिए दी जानेवाली उक्त बोनस की राशि का वितरण करने तथा इसके लेखा–जोखा/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की पूर्ण जिम्मेवारी नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की होगी। तदनुसार नियमानुकूल स्वीकृत्यादेश निर्गत की जाएगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
27/5/2015
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र04/ख0वि0अधि0–09/14– 4243 खाद्य, पटना/दिनांक– 27.05.15
प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

27/5/2015
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र04/ख0वि0अधि0–09/14–4243 खाद्य, पटना/दिनांक– 27.05.15
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं सहकारिता विभाग एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/5/2015
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र04/ख0वि0अधि0–09/14– 4243 खाद्य, पटना/दिनांक– 27.05.15
प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/5/2015
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र04/ख0वि0अधि0–04/13– 4243 खाद्य, पटना/दिनांक– 27.05.15
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, वित्त (वाणिज्य–कर) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति में राज्य के किसानों को दिये जानेवाले बोनस की राशि को सभी राज्यकरों एवं लेवी से विमुक्त करने संबंधी अधिसूचना यथाशीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

27/5/2015
सरकार के सचिव ।

116

ज्ञापांक – प्र04 / ख0वि0अधि0–09 / 14– 4243 खाद्य, पटना / दिनांक– 27.05.15

प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस संकल्प में उल्लेखित कार्य योजना पर यथानुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

27/5/2015

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र04 / ख0वि0अधि0–09 / 14– 4243 खाद्य, पटना / दिनांक– 27.05.15

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक 12.05.2015 में मद संख्या–23** के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के कार्यान्वयन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

27/5/2015

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र04 / ख0वि0अधि0–09 / 14– 4243 खाद्य, पटना / दिनांक– 27.05.15

प्रतिलिपि – सचिव कोषांग / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, बजट एवं लेखा शाखा / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/5/2015

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र04 / ख0वि0अधि0–09 / 14– 4243 खाद्य, पटना / दिनांक– 27.05.15

प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

27/5/2015

सरकार के सचिव ।